प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 2774/2005

याचिकाकर्ता :

1. घासीराम पिता लाटेल साहू, आयु लगभग 40 वर्ष
2. मनकुंवर, पिता महत्तर साहू, आयु लगभग 60 वर्ष
3. जगदीश, पिता कामता साहू, आयु लगभग 42 वर्ष,
4. तिलक, पिता लालदास सतनामी, आयु लगभग 32 वर्ष
5. जयहाद, पिता लखन रावत, आयु लगभग 35 वर्ष
6. परसदावा, पिता समरू, आयु लगभग 65 वर्ष
7. रेखाबाई, पति आजू कुर्मी, आयु लगभग 22 वर्ष

उपर्युक्त सभी निवासी–गाँव सांकरा, तहसील बर्ला, जिला दुर्ग (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, भवन, रायपुर (छ०ग०)
2) अपर कलेक्टर, बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ०ग०)
3) ग्राम पंचायत, सांकरा, द्वारा सरपंच रामेश्वर देवांगन, पिता श्रीराम देवांगन, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी–ग्राम सांकरा, तहसील बेरला, जिला दुर्ग (छ०ग०)
4) अनुविभागीय अधिकारी, साजा, जिला दुर्ग (छ०ग०)

5) संचालक, पंचायत, रायपुर, जिला रायपुर (छ०ग०)

6) भाग्यश्री स्वयं सहायता समूह, ग्राम सांकरा, द्वारा सचिव–श्रीमती उमाबाई, पति शिवकुमार शर्मा, आयु लगभग 40 वर्ष, गाँव सांकरा, तहसील बेरला, जिला दुर्ग (छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ताओं के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता ।

: राज्य/उत्तरवादीगण क्र. 1 , 2 , 4 और 5 के लिए श्री उत्कर्ष वर्मा, अधिवक्ता ।

: उत्तरवादी क्र. 3 के लिए श्री पंकज अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री एच. बी. अग्रवाल, अधिवक्ता ।

: उत्तरवादी क्र. 6 के लिए श्री विप्रा सेन अग्रवाल, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 1 मई, 2006 को पारित)

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विवाद ग्राम पंचायत, सांकरा–तृतीय उत्तरवादी की कार्रवाई से उद्भूत हुआ है, जिसमें वह अपने स्वामित्व वाले तालाब में मछली पकड़ने का अधिकार पट्टे पर दे रहा है। याचिकाकर्तागण 7 व्यक्तिगत मछुआरे हैं, जबकि उत्तरवादी क्र. 6, अर्थात् भाग्यश्री स्वयं सहायता समूह, मछुआरों का एक पंजीकृत स्वयं सहायता समूह है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक ओर याचिकाकर्ताओं और दूसरी ओर छठे उत्तरवादी समूह के बीच, प्रासंगिक समय पर प्रचलित मानदंडों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में, मछली पकड़ने के अधिकार देने के मामले में याचिकाकर्ताओं की तुलना में छठे उत्तरवादी समूह को वरीयता दी गई थी। तथापि, तिरित्य उत्तरवादी , ग्राम पंचायत ने छठे उत्तरवादी –समूह की प्राथमिकता की उपेक्षा करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार अनुदत्त किया। परंतु याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार दिए जाने के तुरंत

बाद, छठे उत्तरवादी –समूह द्वारा दर्ज कराये गए एक शिकायत कि उनके समूह को मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए था, जनपद पंचायत, बेरला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक जांच की गई और उस जांच में पाया गया कि छठे उत्तरवादी –समूह के तीन सदस्य व्यतिक्रमकर्ता थे और मामले को देखते हुए तीसरे उत्तरवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए पहले से ही लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। प्रकरण इस प्रकार था कि छठे उत्तरवादी –समूह ने काफी विलंब से अनुविभागीय अधिकारी, साजा, जिला दुर्ग के समक्ष अपील दायर किया था, जिसमें चतुर्थ उत्तरवादी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार देने के तीसरे उत्तरवादी के आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नाधीन किया और अपील दायर करने में हुए विलंब को माफ करने के लिए आवेदन दिया। चतुर्थ उत्तरवादी ने यह अभिमत दिया कि विलंब को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, इसलिए उसने विलम्ब को माफ करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और फलस्वरूप अपने आदेश दिनांक 16–07–2004 द्वारा छठे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। चतुर्थ उत्तरवादी के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, छठे उत्तरवादी ने छ०ग० पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में "नियम") के नियम 5 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर, बेमेतरा, जिला दुर्ग, जो कि यहां द्वितीय उत्तरवादी है, के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। द्वितीय उत्तरवादी ने अपने आदेश दिनांक 18–02–2005 द्वारा विलम्ब को क्षमा कर दिया और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह उचित समझा कि विवाद का अंतिम रूप से गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाए और तदनुसार पक्षकारों के तर्कों सुना और पाया कि तृतीय उत्तरवादी – ग्राम पंचायत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार देते समय छठे उत्तरवादी –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समूह को प्राप्त वरीयता की उपेक्षा की थी और मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने चतुर्थ प्रतिवादी के आदेश को अपास्त कर दिया और विधि के अनुसार मछली पकड़ने का अधिकार देने और शासकीय आदेशों के तहत प्रदान की गई वरीयताओं को ध्यान में रखने के लिए कार्यवाही को ग्राम पंचायत को वापस भेज दिया। इसलिए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

(2) मैंने विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों को पर्याप्त समय तक सुना है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं हो सकता और वास्तव में वहां कोई विवाद है ही नहीं। द्वितीय उत्तरवादी ने अपने आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेरला द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर विचार नहीं किया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, कि छठवें उत्तरवादी समूह के तीन सदस्य व्यतिकर्मकर्ता थे और इसलिए छठवें उत्तरवादी समूह को मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित करना न्यायोचित है। यह सही है कि छठे उत्तरवादी, जिसने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, को दूसरे उत्तरवादी से यह विनिश्चय करने के लिए कहना था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज किया गया उपरोक्त निष्कर्ष न्यायानुमत था या नहीं। परंतु आदेश से पता चलता है कि यह प्रश्न दूसरे प्रतिवादी के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया था। जो भी हो, यदि वास्तव में छठे उत्तरवादी समूह के कुछ सदस्य व्यतिक्रमकर्ता हैं, तो छठे उत्तरवादी समूह के पक्ष में मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए तृतीय उत्तरवादी –ग्राम पंचायत के इनकार को गलत नहीं माना जा सकता है।द्वितीय उत्तरवादी को उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लिए बिना, केवल वरीयताओं को ध्यान में रखते हुए, न कि छठे उत्तरवादी समूह के सदस्यों द्वारा की गई चूकों को ध्यान में रखते हुए, मछली पकड़ने के अधिकारों का नए सिरे से निराकरण के लिए कार्यवाही को ग्राम पंचायत को वापस नहीं भेजना चाहिए था। मामले के इस दृष्टिकोण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, यह आवश्यक हो जाता है कि द्वितीय उत्तरवादी को यह निर्देश दिया जाए कि वह पहले इस बात पर विचार करे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बेरला द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि छठे उत्तरवादी–समूह के तीन सदस्य तथ्यों के आधार पर चूककर्ता हैं, न्यायोचित है या नहीं और केवल तभी जब द्वितीय उत्तरवादी यह निष्कर्ष दे कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उपरोक्त निष्कर्ष प्रमाणित नहीं है या गलत है, तृतीय उत्तरवादी द्वारा मछली पकड़ने के अधिकार का नए सिरे से निराकरण करने का प्रश्न उठेगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और द्वितीय उत्तरवादी के आक्षेपित आदेश को अपास्त करता हूं। इस आदेश के आलोक में पुनरीक्षण का नए सिरे से निराकरण करने के निर्देश के साथ कार्यवाही दूसरे उत्तरवादी को प्रेषित की जाये। इस मुकदमे के कारण तृतीय उत्तरवादी –ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध राजस्व का एक मूल्यवान स्रोत बाधित हो गया है। इसलिए, दूसरे उत्तरवादी को बिना अधिक समय गंवाए पुनरीक्षण का निराकरण करने की आवश्यकता है। तदनुसार, मैं द्वितीय उत्तरवादी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पुनरीक्षण का निराकरण करने का निर्देश देता हूं। रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति द्वितीय उत्तरवादी को तुरंत भेजने का निर्देश दिया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सुब्बु

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur